(1)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL

OA No. 77/2020(CZ)

IN THE MATTER OF:

AARYA SHRIVASTAVA **APPLICANT**

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. **RESPONDENTS**

COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 5

Most Respectfully Showeth:

1. That the present matter is pending for disposal before this Hon'ble Tribunal for the submission of an action taken report by the Respondents regarding the removal of encroachment/unlawful structures at the banks of southern part of upper lake popularly known as Bhadbhada Bridge, Bhopal.
2. That, the Hon'ble Tribunal directed the Respondent no.5 to submit the report for the compliance done regarding the encroachment in upper lake for shifting approximately 227 slum dwellers near Bhadbhada.
3. The details of action taken are as follows:

3.1 In order to comply with the directions of the Hon'ble NGT, a committee was formed consisting of the Respondents and other related officials, in order to regularly review the progress of the compliance. The said committee visited the site in question on 18.08.2022, 28.08.2022 and 29.09.2022 for conducting the survey of the encroached area but the residents/slum encroachers have restrained them from taking action by creating hue and cry situation at the site and have showcast high resistance and have threatened the officers of severe consequences in case they continue with the survey or removal of encroachment at that particular site. **Copy of the report dated 10.10.2022 is annexed as R/1.**

3.2 However, inspite of that Respondent no.5 is making attempts on various dates by taking all necessary measures in removing the encroachment from the site and has successfully removed some of the jhuggis/slums falling under the encroachment area. In lieu of the same, officials of Respondent no.5 visited the said site on 17.11.2022 and took all necessary and relevant action in removing temporary structures from 30 slums/jhuggis at the site. **Copy of the letter showing list of houses alongwith photographs is marked and annexed as R/2.**

(2)

3.3 Further, the officilas visited the site to carry out the demolition process on 31.05.2023 but due to the severe resistance received from the residents the demolition process could be done only over 5 Houses. **The Copy of the Panchnama dated 31.05.2023 and is hereby marked and annexed as Annexure R/3.**

3.4 That since the residents have shown resistance on various previous dates and are not willing to vacate the encroached property Respondent no.5 issued a notice dated 05.07.2023 under Section 303(1) of the Bhopal Municipal Corporation Act to the said encroachers and have called upon them to vacate the encroached property within 7 days otherwise a strict action would be taken against them. However, inspite of receiving the notice the encroachers failed to act upon the same. **Copy of one such notice dated 05.07.2023 is hereby marked and annexed as R/4.**

3.5 Thus, Respondent no.5 immediately through Lake Conservation Cell issued a letter dated 23.06.23 and 14.07.2023 to the Encroachment Officer to provide necessary means including sufficient manpower so as to carry out the removal of the encroachment from the said site. **Copy of the letters dated 23.06.2023 and 14.07.2023 are hereby marked and annexed as R/5**

3.6 That the officials of Lake Conservation cell along with the officers of the Encroachment Cell again jointly visited the site on 24.06.2023 and 20.07.2023 for executing the demolition process. However, .the local residents gathered at the site in large numbers including women and children and forcefully prevented the officers to carry out the demolition as required. However, inspite of receiving the resistance the concerned officers carried out the demolition over 12 houses on 24.06.2023 and 18 houses on 20.07.2023. **The Copies of the Panchnama dated 24.06.2023 and 20.07.2023 are hereby marked and annexed as Annexure R/6 and the Copies of the photographs reflecting the process of demolition are hereby marked and annexed as R/7 .**

3.7 That it is pertinent to mention that since the said site is a disputed site and the local residents of the slum used to quarrel with the officers therefore it was difficult to carry out the demolition process. Therefore the Respondent no.5 through Lake Conservation Cell issued a letter dated 13.07.23 to Police in-charge Kamla Nagar,Thana Bhopal and requested to provide a sufficient police force including female police staff on the said site so as to carry out the demolition activity peacefully as required under police protection.. **Copy of the notice dated 13.07.2023 is hereby marked and annexed as R/8.**

4. That, it is to be noted that the residents of the slums are resisting the said demolition process on the ground that the said property belongs to the Wakf board and till the matter is pending before the Hon'ble M.P Wakf Tribunal case bearing no.A-54/2018 the demolition and dismantling of the houses may not be carried out. **Copy of the letter is hereby marked and annexed as R/9.**

5. That in view of the aforesaid that Respondent no.5 is taking all possible steps for removal of the encroachment inspite of receiving resistance from the local residents. That Respondent no.5 is also in consultation with the State Government is in the process of rehabilitating the encroachers as the same includes family to some other place for an easy execution of demolition procedure and is further developing a mechanism in consultation with the State Government for eraly disposal of the case pending before the Hon'ble M.P Wakf Tribunal.
6. That, Respondent no.5 by way of an affidavit filed along with the present Compliance report is also giving reassurance before this Hon'ble Tribunal that the directions passed by the Hon'ble Tribunal shall be duly complied with.

RESPONDENT NO. 5

THROUGH

gunjan

GUNJAN CHOWKSEY

ADVOCATE

BHOPAL

DATED: 20/07/2023

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL

O.A. No. 77/20

IN THE MATTER OF:

Aarya Shrivastava

.......APPLICANT

Versus

Union of India and Ors.

...RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, Santosh Gupta, S/o Lt. C.L Gupta aged 59 years on behalf of Bhopal Municipal Corporation, situated at Mata Mandir, Bhopal (M.P) do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. I say that I am the Authorised Signatory of Bhopal Municipal Corporation and as such in that capacity am competent to depose the present Affidavit.
2. That Bhopal Municipal Corporation has been arrayed as Respondent no. 5 in the above captioned Report/Reply.
3. That the accompanying Report/Reply has been drafted by the counsel under my instructions and the contents of the same are true and correct as per my knowledge and belief.

DEPONENT

Santosh Gupta
Superintending Engineer
Nagar Nigam, Bhopal

VERIFICATION

Verified at Bhopal on this 20 day of July, 2023 that the contents of the above Affidavit are true and correct to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

Santosh Gupta
Superintending Engineer
Nagar Nigam, Bhopal

SOLEMNLY AFFIRMED BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED

A. K. AGRAWAL
NOTARY BHOPAL (INDIA)
20-7-23

IDENTIFIED BY ME
Bhagwan Singh Chandel

NOTARY
A.K. Agrawal
Valid upto 25-06-2025
Distt. Bhopal M.P.
Reg. 26-06-97
M.P. GOVT. INDIA

ANNEXURE R/I

(5)

कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
हाऊसिंग फॉर ऑल प्रकोष्ठ (HFA CELL)
तृतीय तल, आई.एस.बी.टी. भवन, होशंगाबाद रोड, हबीबगंज, भोपाल -462011

क्र. 510 / एच.एफ.ए. / 2022 भोपाल, दिनांक 10 / 10 / 2022

प्रति,

अधीक्षण यंत्री
झील संरक्षण प्रकोष्ठ,
नगर पालिक निगम, भोपाल

विषय :- बड़े तालाब के किनारे भदभदा के पास स्थित झुग्गियों के सर्वे सत्यापन एवं विस्थापन के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रं. 193 / अधी.यं. / न.नि.भो. / 2022 दिनांक 16.09.2022

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय एनजीटी सेन्ट्रल जोन भोपाल में प्रचलित प्रकरण के अनुसार बड़े तालाब के किनारे भदभदा के पास स्थित झुग्गियों के विस्थापन के संबंध में सर्वे हेतु गठित दल द्वारा दिनांक 18.08.2022 को सर्वे कार्य हेतु पहुँचा गया था किन्तु झुग्गी वासियों द्वारा कहा गया कि उक्त झुग्गी बस्ती की भूमि का प्रकरण वाद क्रं.-ए-54 / 2018 म.प्र. वक्फ अभिकरण में दायर है। यह कहते हुये सर्वे कराने से मना कर दिया।

दिनांक 28.08.2022 को गठित दल, जिसमें झील प्रकोष्ठ से श्री सत्यम सिंह, भी सम्मिलित थे, पुनः सर्वे स्थल पर पहुँचा परन्तु झुग्गीवासियों ने सर्व सहमति पश्चात् सर्वे हेतु मना कर दिया। दिनांक 29.09.2022 को गठित दल के सदस्यों द्वारा पुनः सर्वे कार्य प्रारंभ करना चाहा किन्तु झुग्गीवासी वाद-विवाद करने लगे और सर्वे कराने से इन्कार कर दिया।

झुग्गीवासी उक्त भूमि को निजी बता रहें है, जिसका प्रकरण न्यायालयीन है, जिसके संबंध में झुग्गीवासियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज संलग्न है।

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होवे।

संलग्नः-

1. स्थल का छाया चित्र
2. न्यायालयीन प्रकरण

अधीक्षण यंत्री (HFA)
नगर पालिक निगम, भोपाल

पृष्ठा क्र. .... / एच.एफ.ए. / 2022 भोपाल, दिनांक......... / .... / 2022

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर निज सहायक के माध्यम से सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर आयुक्त महो0 (एच.एफ.ए.) नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर निज सहायक के माध्यम सेसूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री सचिन साहू, सहायक यंत्री, (झील संरक्षण प्रकोष्ठ) नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधीक्षण यंत्री (HFA)
नगर पालिक निगम, भोपाल

ANNEXURE-II (Colly.)

(6)

माननीय **N.G.T.** प्रकरण क्र. 77/2020 के संबंध में आज दिनांक 17.11.22 पर नगर निगम भोपाल की अतिक्रमण शाखा प्रभारी श्री कमर शाकिब, झील संरक्षण प्रकोष्ठ की टीम व अधिकारियों के साथ बडे तालाब के किनारे भदभदा के पास अस्थाई प्रकार के निम्न अतिक्रमण को हटाया गया है। अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान अपर आयुक्त (झील) श्री परिहार, अधीक्षण यंत्री श्री संतोष गुप्ता, कार्यपालन यंत्री श्री आर. के. गुप्ता, सहायक यंत्री श्री सचिन साहू उपस्थित थे। मौके पर अतिक्रमण हटाए जाने के छायाचित्र लिए गए जो सलंग्न है।

क्र.	नाम	पिता का नाम	झुग्गी न.	मोबाईल न.	हस्ताक्षर
1.	रानी	स्व. वाने	51	9575188640	
2.	राईस	महरूम ईसका	52	9425904885	
3.	हकीम	चन्द्र खाम	22117/1	9827253743	
4.	शहीद	राशिद	BD/130		
5.	रिशाम	इमरान	A 22/8	8839353730	
6.	गुफरान अली	इमरान	B 22/8	9753174735	
7.	शकीला	स्व. आसलाम	150	975524401	
8.	रफीकखान	शहीद खान	142	7000558964	
9.	रोशन	चन्द मिया	143	9753607712	
10.	बादल	शकर वागियर	145	9340613347	
11.	अब्दुल शहीद	अब्दुल करीम	146	8602463300	
12.	जावेद	अब्दुल मतीम	147	9644777354	
13.	अब्दुल मतीम	करीम	148	7805082782	
14.	नावेद	अब्दुल मतीम	148	8964956097	
15.	फरहान खॉ	इनाम खान	126	8319513393	
16.	अदीम खान	मतीम खान	124	8878209032	
17.	फराद खान	स्व. मतीम खान	124	9424405122	
18.	जुलेखर बी	अब्दुल करीम	2199	9516154817	
19.	मेहफूज	मेहमुद क्षान	2199	7447026529	
20.	मुर्शरफ	गाधी खान	2021/94	7697426851	
21.	नशीक	देवीलाल	BB/117	7441199507	
22.	राजू				
23.	नशीर एहमद	अनीश एहमद	154	8839895546	
24.	इनाम खान	अब्दुल सलाम	1222	9039923713	
25.	असफाक बी	निशार			
26.	मो. अबजल	मो. अजार	3222	9826041363	
27.	वशीम	करीम	DH/140	9754671028	
28.	करीम		208		
29.	राजेश गोस्वामी	रामभरोसे गोस्वामी	2257	9926454712	
30.	अजरा बी	स्व. सफी उद्दीन	2255	8889615707	

PDF-XChange Product
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

PDF-XChange Click to buy NOW!

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

(12)

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

PDF-XChange Product
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

:- पंचनामा :-

आज दिनांक 31/5/23 को भदभदा के समीप आई. आई. एफ. एम. के पास स्थित झुग्गियों/अवैध निर्माण/अतिक्रमण, माननीय एन.जी.टी. के निर्देशानुसार अतिक्रमण अमला एवं जिला प्रशासन प्रकोष्ठ के संयुक्त अमले के साथ 5 अवैध अतिक्रमण/अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही की गई। जो कि तालाब के FTL के 50 मी. के दायरे में आ रहे थे। अतिक्रमणकारियों के नाम निम्नानुसार हैं :-

1. श्री फरजान S/O श्री रईस खान
2. मो. अनीस S/O रफीउल्ला
3. श्री रोशन S/O चांद मियां
4. सानो S/O स्व. अख्तर खान
5. श्री अलाउद्दीन S/O श्री मुंशी

[illegible] मो. तौफिक सुधीर सुमित Sumit

राजेश

AE

Annexure - R/4

(17)

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

सूचना पत्र

धारा 303 (1)

क्र.177/1 / 2023

भोपाल दिनांक 5/07/23

प्रति,

मो. इब्राहिम पिता मो. सलाम
सर्वे नं. BD/211

विषयः— भदभदा पुल पर आई.आई.एफ.एम के पास अपरलेक वेटलैण्ड में अतिक्रिमण / अवैध निर्माण 07 दिवस कि भीतर हटाये जाने हेतु।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा भदभदा पुल पर आई.आई.एफ.एम के पास अपरलेक वेटलैण्ड में अतिक्रिमण / अवैध निर्माण किया गया है। इस संबंध में आपको नगर पालिक निगम अधिनियमं 1956 की धारा 303 (1) के तहत सूचना पत्र दिया जाता है। अतः 07 दिवस के भीतर आपके द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटायें ताकि किसी भी प्रकार की जन–धन की हानि न हो।

अन्यथा की दशा में सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी स्वयं की होगी।

कार्यपालन यंत्री
झील संरक्षण शाखा
नगर निगम भोपाल

Annexure - R/5 (Colly).

(18)

कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल
(झील संरक्षण प्रकोष्ठ)

क्र......160....../अ.यं/न.नि.भो./2023 भोपाल दिनांक..23/6/23

प्रति,

अतिक्रमण अधिकारी
अतिक्रमण शाखा
नगर निगम भोपाल

विषय :– अपरलेक वैटलेण्ड अंतर्गत भदभदा पुल पर आई.आई.एफ.एम. के पास अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाये जाने हेतु अमला उपलब्ध कराये जाने बावत्।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 284–ए भोपाल दिनांक 12/11/22

––0––

उपरोक्त विषय में लेख है कि भदभदा पुल पर आई.आई.एफ.एम के पास अपरलेक वेटलैण्ड में स्थानीय रहवासियों द्वारा अतिक्रमण/अवैध निर्माण कर लिया गया है। उक्त स्थल से अवैध अतिक्रमण/अवैध निर्माण को हटाये जाने हेतु माननीय एन.जी.टी. द्वारा निर्देश दिये गये है। इस संबंध में माननीय एन.जी.टी. सेंट्रल जोन भोपाल में भी उक्त संबंध में प्रकरण क्रमांक 77/2020 प्रचलित है एवं उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 21.07.2023 को निहित है जिसमें हटाये गये अतिक्रमण की जानकारी दी जाना है।

अतः उक्त स्थल से अतिक्रण/अवैध निर्माण हटाये जाने हेतु अमला उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

23/6/23
अधीक्षण यंत्री
झील संरक्षण प्रकोष्ठ
नगर निगम भोपाल

पृ.क्र................../अ.यं/न.नि.भो./2023 भोपाल दिनांक..............

प्रतिलिपि :–

1. अपर आयुक्त नगर निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कार्यपालन यंत्री नगर निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधीक्षण यंत्री
झील संरक्षण प्रकोष्ठ
नगर निगम भोपाल

(19)

कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल
(झील संरक्षण प्रकोष्ठ)

क्र. 808 / अ.यं / न.नि.भो. / 2023 भोपाल दिनांक 14/7/23

प्रति,

अतिक्रमण अधिकारी
अतिक्रमण शाखा
नगर निगम भोपाल

विषय :– अपरलेक वैटलेण्ड अंतर्गत भदभदा पुल पर आई.आई.एफ.एम. के पास अतिक्रमण / अवैध निर्माण हटाये जाने हेतु अमला उपलब्ध कराये जाने बावत्।

संदर्भ :–1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 284–ए भोपाल दिनांक 12 / 11 / 22।

2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 160 भोपाल दिनांक 23 / 06 / 23।

—0—

उपरोक्त विषय में लेख है कि भदभदा पुल पर आई.आई.एफ.एम के पास अपरलेक वेटलैण्ड में स्थानीय रहवासियों द्वारा अतिक्रमण / अवैध निर्माण कर लिया गया है। उक्त स्थल से अवैध अतिक्रमण / अवैध निर्माण को हटाये जाने हेतु माननीय एन.जी.टी. द्वारा निर्देश दिये गये है। इस संबंध में माननीय एन.जी.टी. सेंट्रल जोन भोपाल में भी उक्त संबंध में प्रकरण क्रमांक 77 / 2020 प्रचलित है एवं उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 21.07.2023 को निहित है जिसमें हटाये गये अतिक्रमण की जानकारी दी जाना है।

अतः उक्त स्थल से अतिक्रण / अवैध निर्माण हटाये जाने हेतु अमला उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

अधीक्षण यंत्री
झील संरक्षण प्रकोष्ठ
नगर निगम भोपाल

पृ.क्र. .... / अ.यं / न.नि.भो. / 2023 भोपाल दिनांक.........

प्रतिलिपि :–

1. अपर आयुक्त नगर निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कार्यपालन यंत्री नगर निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधीक्षण यंत्री
झील संरक्षण प्रकोष्ठ
नगर निगम भोपाल

Annexure
- R/6 (Colly).

-: पंचनामा :-

आज दिनांक 24/6/23 को मान. एन.जी.टी. के निर्देशानुसार
[illegible] के पास (तालाब के F.T.L 50 मी. के दायरे में)
स्थित अवैध निर्माण / अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही
नगर निगम के झील संरक्षण प्रकोष्ठ एवं [illegible] अमला व
अतिक्रमण अमले के साथ संयुक्त रूप से उक्त स्थल से
अवैध निर्माण / अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई
उक्त स्थल से कुल 12 अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया
है जिनके नाम निम्नलिखित हैं :-

1. श्री राजेश वर्मा
2. श्रीमती रानी / w/o मुन्ने खान
3. श्री जावेद S/O मतीन अब्दुल
4. श्री इमरान खां / S/O अब्दुल खां
5. मो. रफीक S/O मुश्ताक अली
6. श्री नवाब S/O कमरुद्दीन
7. श्रीमती मालती S/O श्री शंकर कोरिया
8. श्री अफसर S/O चांद खां
9. श्री रफीक खान S/O साबिर खान
10. श्री नासिर S/O श्री जमील
11. मो. आरिफ S/O मो आदिल
12. श्री सलमान S/O श्री इकबाल

Recommended L.N Tripathy मो. आसिफ आशीष सुमित
Recommended Sumit

राजेश उईके

4[illegible]

-:पंचनामा!-

आज दिनांक 20/7/2023 को मान. एन.जी.टी. के निर्देशानुसार आई.आई.एफ.एम. के पास तालाब के FTL 50 मी. के दायरे में स्थित अवैध निर्माण/अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही नगर निगम के झील संरक्षण प्रकोष्ठ में उपलब्ध अमला व अतिक्रमण अमले के साथ संयुक्त रूप से उक्त स्थल से अवैध निर्माण/अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई उक्त स्थल से कुल 18 अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया है जिनके नाम निम्नलिखित है !-

1. श्री. इमरान S/O नूर
2. श्री. हकीम S/O चन्द खान
3. श्री रेहान S/O शाहिद खान
4. श्री मो. जिसान S/O मो. इमरान
5. श्री बादल S/O शंकर
6. अब्दुलमतिन S/O अब्दुल करीम
7. जुलेखा /- का
8. मेहफूज S/O मोहम्मद खान
9. गुफरान S/O मुन्ने मियां
10. सजीमा परविन S/O अब्दुल सालाम
11. मुसराफ खान S/O गौसी खान
12. तरन्नूम S/O अलीम
13. तौफिक खान S/O फखरुद्दिन खान
14. राजेश गोस्वामी S/O राम भरोसे
15. अमोज S/O आहात
16. रफीक मिया S/O सुलतान मिया
17. मेहरुनीशा S/O अब्दुल खान
18. रेहान जाफर S/O जाफर नाजाफ जाफर

[signature] प्रमोद यादव शक्तिमत Sup [signature] [signature]

Pramod

राजेश इंगले

[signature] EE 20.7.23

[signature] 20/7/23 AE

Annexure - R/7

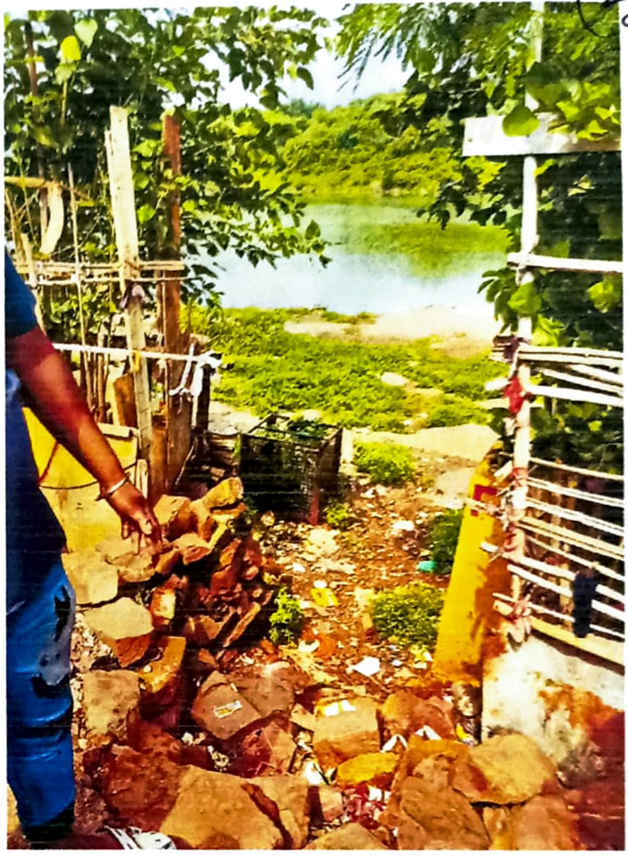

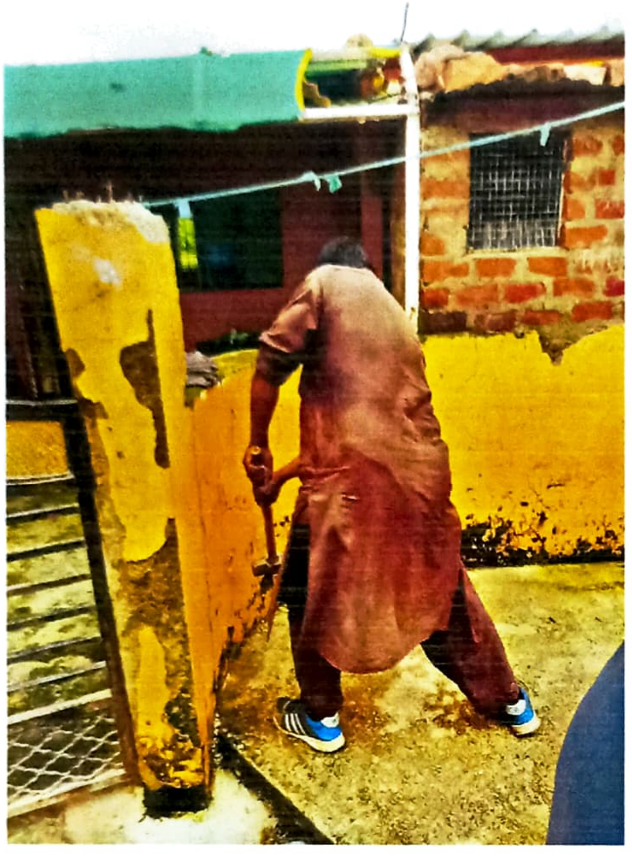

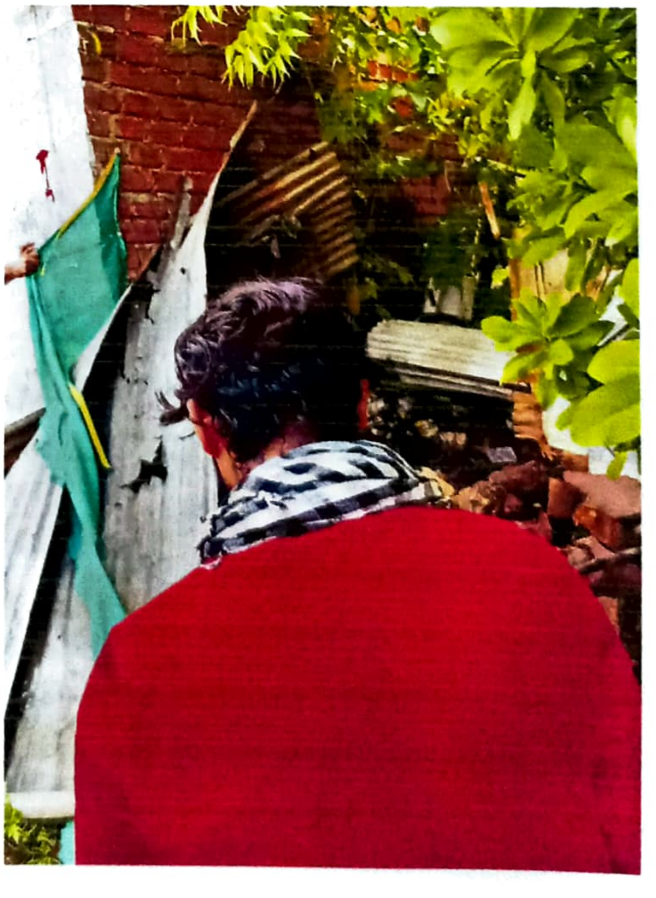

3DX

CB

3DX

Sohil
Sohil
AA

Annexure - R/8

(32)

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल
झील संरक्षण विभाग

क्र. 185/2023 | भोपाल दिनांक 13/07/23

प्रति,

थाना प्रभारी,
कमला नगर थाना

विषयः– भदभदा पुल पर आई.आई.एफ.एम के पास अपरलेक वेटलैण्ड में अतिक्रिमण/अवैध निर्माण हटाये जाने हेतु पुलिस बल प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भः– माननीय एन.जी.टी. (सेण्ट्रल जोनल बेंच भोपाल) के प्रकरण ओ.ए.नं 77/2020 (CZ) आर्या श्रीवास्तव विरूद्ध यूनियन ऑफ इडिया व अन्य। (भदभदा पुल पर आई.आई.एफ.एम के पास अपरलेक वेटलैण्ड में अतिक्रिमण/अवैध निर्माण)

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.एन. क्रमांक 77/20 (CZ) मेसर्स आर्या श्रीवास्तव विरूद्ध यूनियन ऑफ इडिया व अन्य में पारित आदेश के परिपालन में बडे तालाब कि किनारे तालाब के संरक्षण एवं संवर्धन के दृष्टिगत भदभदा के पास स्थित झुग्गियों का विस्थापन कार्य किया जाना है।

उपरोक्त संबंध में रहवासियों को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 303 (1) के तहत सूचना पत्र भी दिये गये। परन्तु रहवासियों द्वारा कोई भी सहयोग नहीं किया जा रहा है। अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) प्रदान करने का कष्ट करें। (दिनांक - 20/07/23, समय-प्रातः 9:00 बजे)

कार्यपालन यंत्री
झील संरक्षण शाखा
नगर निगम भोपाल

प्रतिलिपि :

1. अपर आयुक्त महोदय, झील संरक्षण शाखा, नगर निगम भोपाल
2. अधीक्षण यंत्री, झील संरक्षण शाखा, नगर निगम भोपाल
3. उपायुक्त, विधि विभाग नगर निगम भोपाल

थाना प्रभारी थाना कमला नगर, भोपाल — 19/7/23

O/C

कार्यपालन यंत्री
झील संरक्षण शाखा
नगर निगम भोपाल

Annexure – R/9

(33)

प्रति,

आयुक्त महोदय,
नगर निगम, भोपाल।

विषयः भदभदा परिक्षेत्रान्तर्गत झुग्गियों का सर्वे के संबंध में।

मान्यवर,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि भदभदा परिक्षेत्र के अन्तर्गत झुग्गी बस्ती की भूमि के संबंध में म.प्र. वक्फ अभिकरण भोपाल में पूर्व से ही प्रकरण वाद क्र.–ए–54/2018 वाद दायर है तथा इस संबंध में वर्तमान में–

1. यह कि अतिक्रमण अधिकारी श्री कमर शाकिब साहब का शपथपत्र (हलफनामा) प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जा चुका है उक्त अधिकारी की गबाही के उपरान्त ही प्रकरण में कार्यवाही की जा सकेगी।
2. यह कि भदभदा निवासियों की गवाही पूर्ण हो चुकी है नगर निगम से संबंधित अधिकारी की गवाही के उपरांत जिरह की जाकर अंतिम निर्णय होगा।

अतः कृपया सहानुभूति पूर्वक विचार कर कार्यवाही करते हुए भदभदा झुग्गीवासियों को अनुग्रहित करने का कष्ट करें

सादर।

संलग्नः वाद पत्र की प्रति।

दिनांकः

भवदीय
सुबहान खाँ
(सुबहान खाँ)
अध्यक्ष
वक्फ मोहम्मदी मस्जिद मदरसा
भदभदा, भोपाल